राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 244/2012

अपीलार्थी स्व॰ श्री मोती सिंह के वारिसान्ः–
1. पुष्पा कंवर पत्नी स्व. श्री मोती सिंह
2. रघुवीर सिंह सोलंकी पुत्र स्व. श्री मोती सिंह
3. दीप सिंह सोलंकी पुत्र स्व. श्री मोती सिंह
4. मीरा पत्नी नरेंद्र सिंह कवर पुत्री स्व. श्री मोती सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए उप शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।
3. उप वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, जैसलमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 26.10.2012
आदेश की दिनांक : 15.04.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री हिम्मत सिहं भाटी, अभिभाषक (अनुपस्थित)
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गजेन्द्र सिंह चौहान (अनुपस्थित)

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार मूल अपीलार्थी श्री मोती सिंह की मृत्यु दिनांक 23.04.2018 को होने के कारण यह संशोधित अपील स्व. श्री मोती सिंह के वारिसान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी स्व॰ श्री मोती सिंह की नियुक्ति 1970 में वनरक्षक के पद पर हुई एवं बाद में वनपाल के पद पर पदोन्नति हुई। अपीलार्थी वनपाल के पद पर उप वन संरक्षक इगानप विश्व खाघ कार्यक्रम जैसलमेंर में अपनी सेवाऐ अर्पित कर रहा था। अपीलार्थी के अत्यधिक गंभीर बीमारी एवम् घरेलू परिस्थितियों से मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण समय समय पर अवकाश प्रार्थन–पत्र दिये जाते रहे है। अपीलार्थी के अत्यधिक गम्भीर बीमारी एवं घरेलु परिस्थितियों से मानसिक रूप से बीमार होने के कारण दिनांक 01.07.2001 को प्रार्थना पत्र अपने विभाग को प्रस्तुत कर स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रस्तुत आवेदन अनुलग्नक–1, 2 एवं 3 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी का वेतन नियतन नहीं किया जाकर मूल वेतन 880 रूपये रखा जबकि अन्य समान कार्यरत कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान 1989 एवं 1992 में वेतन नियतन किया गया। अपीलार्थी को वेतन नियतन एवं वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छिक

सेवानिवृति प्रार्थना–पत्र के पश्चात् अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई निरस्तीकरण आदेश विभागीय तौर पर जारी नहीं किये जाने से राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 के अनुसार अपीलार्थी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रार्थना–पत्र के 3 माह निर्धारित अवधि की समाप्ति पर अपीलार्थी सेवानिवृत्ति हो गया परन्तु उसे विभाग द्वारा कोई सेवानिवृति परिलाभ प्रदान नहीं किया गया एवं न ही उसके सेवा अभिलेख को पूर्ण किया गया है। अपीलार्थी ने नियमानुसार अवकाश आवेदन प्रस्तुत किये है। अपीलार्थी के द्वारा अपने विभाग को बार–बार प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग ने अपने आदेश दिनांक 28.08.2001 में यह उल्लेख करते हुए कि अपीलार्थी स्व. श्री मोतीसिंह दिनांक 25.06.2000 से अनुपस्थित रहने के कारण एवं प्रत्यर्थी विभाग के विभिन्न पत्रों/आरोप पत्रों का उत्तर नहीं देने के कारण अपने कर्त्तव्यों से जानबूझ कर अनुपस्थित मानते हुए राज्य सेवा नियम 86(3) के अंतर्गत राजकीय सेवा से पृथक् कर दिया गया, जबकि अपीलार्थी द्वारा समय समय पर अपने विभिन्न पत्रों द्वारा परिलाभ प्रदान करने एवं अवकाश स्वीकृत करने आदि हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए किन्तु अपीलार्थी के उपरोक्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को राजकीय सेवा से मनमाने ढंग से सेवा से पृथक् कर दिया गया (अनुलग्नक–5)। अतः अपीलार्थीगण की इस अपील को स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2001 को अपास्त किया जावे तथा सेवानिवृति एवं अन्य समस्त देय परिलाभ मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित अपीलार्थी के वारिसान को भुगतान किए जाने के निर्देश फरमाया जावे।

3. प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. वक्त सुनवाई अपीलार्थी की तरफ से कोई प्रस्तुत नहीं। प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से भी राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण वर्ष 2012 से लंबित है। अतः हमारा यह मानना है कि अपीलार्थी की तरफ से एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत करें। ताकि विभाग इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कर यथोचित राहत अपीलार्थी को प्रदान करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए एवं प्रकरण लंबे समय से लंबित होने के दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

SD/-

(असलम मेहर)
सदस्य

SD/-

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य